न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 39/2018

अनवान :

1. जसवंत पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़)

– वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सुभाषचन्द्र पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरारहक व रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955
उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : **वादी**
वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **प्रतिवादी सं0 1 ता 2**
निर्णय दिनांक : 23.5.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भाडी पटवार हल्का भाडी के खाता सं0 283/262 के खसरा सं0 38 की 3.8840 है0 बारानी व खसरा सं0 96 की 3.5920 है0 बारानी व खसरा सं0 112 की 2.5810 है0 बारानी तथा खसरा सं0 671 की 2.6180 है0 बारानी कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 12.6750 है0 बारानी वादी के मौरूशाला हरीराम की खातेदारी आराजी थी। वादी के दादा हरीराम का देहान्त दिनांक 08.01.2018 को हो चुका है। उसकी मृत्यु के बाद उपरोक्त आराजी हरीराम के दोनों पुत्रों रामकुमार व हरदत के नाम से ओद हो गई। उक्त भूमि में वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार का 1/2 हिस्सा है जो कि सयुंक्त परिवार की जद्दी जायदाद पुश्तैनी कृषि भूमि है, जिसमें वादी का अपने जन्म से ही हक व अधिकार है व वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 प्रत्येक का 1/6–1/6 हक व हिस्सा है। उक्त भूमि को मुश्त र्का तौर पर वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 काश्त करते आ रहे है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी जसवंत के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम भाडी खाता सं0 283/262 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, शपथ पत्र व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 व 3 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर
(फा.ट्रेक) भादरा (हनु.)

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम भाडी खाता सं0 283/262 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाई है उसमें पूर्व की प्रविष्टि में वाद भूमि वादी के दादा हरिराम वल्द पेमाराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं शपथ पत्र व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 व 3 में रामकुमार के वारिसान में पत्नि कमलादेवी, दो पुत्र सुभाषचन्द्र व जसवंत होना व इसके अलावा कोई जायज व कानूनी वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि भाडी के खाता सं0 283/262 के खसरा सं0 38 की 3.8840 है0 बारानी व खसरा सं0 96 की 3.5920 है0 बारानी व खसरा सं0 112 की 2.5810 है0 बारानी तथा खसरा सं0 671 की 2.6180 है0 बारानी कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 12.6750 है0 बारानी में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.5.18........ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 39/2018

अनवान :

1. जसवंत पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़)

— वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सुभाषचन्द्र पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि भाडी के खाता सं0 283/262 के खसरा सं0 38 की 3.8840 है0 बारानी व खसरा सं0 96 की 3.5920 है0 बारानी व खसरा सं0 112 की 2.5810 है0 बारानी तथा खसरा सं0 671 की 2.6180 है0 बारानी कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 12.6750 है0 बारानी में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों 1/3—1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.5.18...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा (हनु.)